उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 48/2018/1700/तीस-4-2018-11(एम)/2015
लखनऊ : दिनांकः 16 नवम्बर, 2018

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 88 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के मध्य किये जाने वाले प्रस्तावित करार का प्रारूप, अभ्यावेदन आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-2/2018/43/तीस-4-2018-11(एम)/2015, दिनांक 22.01.2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के गजट में और करार द्वारा आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था,

और चूंकि, प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में इस प्रकार प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है;

और चूंकि, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखण्ड सरकार के मध्य करार किया जा चुका है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त करार निम्नानुसार प्रकाशित करते हैं :-

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-48/2018/1700(1)/तीस-4-2018-11(एम)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(जिन्नूरैन अहमद खाँ)
विशेष सचिव।

संख्या-48/2018/1700(2)/तीस-4-2018-11(एम)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 16 नवम्बर, 2018 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 48/2018/1700(3)/तीस-4-2018-11(एम)/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी भिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता
(मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88(6) के अन्तर्गत)

यह करार आज दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तराखण्ड सरकार" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूँकि उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों और माल के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है।

और चूँकि, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अधिक्रमण करके समान्यतया लोकहित में नया पारस्परिक करार एतद्पश्चात उपसंजात होने वाले निबंधनों, एवं शर्तों पर करना आवश्यक है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य अब पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया जाता हैः

1. यह करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2. अस्थायी परमिट जारी किये जाने की सामान्य सहमति

मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 88(7) में प्रावधानित है कि धारा 88(1) में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी एक संभाग का संभागीय परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र, जो दूसरे संभाग या राज्य में विधिमान्य होगा, उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा मामला हो, की सहमति से सामान्यतया या विशिष्ट अवसरों के लिए जारी कर सकेगा। अधिनियम के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया कि दोनों राज्यों के संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण इस करार के खण्ड 4, 6 व 11 के उपबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना मालयान और ठेका गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।

3. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन पांच वर्ष का मालयान अनुज्ञा पत्र

(एक) यह करार पाया गया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मालयान परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में वैध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

होंगे तथा इसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तराखण्ड द्वारा जारी परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वैध होंगे। सम्बन्धित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति पर इन परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर संचालित मालयान का उपयोग करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसा सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 व 84 के अन्तर्गत अधिरोपित करना उचित समझे।

4. मालयान (अस्थायी अनुज्ञा पत्र)

(एक) उपरोक्त खण्ड-2 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दोनों में से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र/मार्ग, जैसा परमिट पर विनिर्दिष्ट हो, पर संचालन हेतु अधिनियम की धारा 87 के अनुसार तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य मालयान अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(दो) यह अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी किये जायेंगेः-

(क) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा अर्थात ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध रहेंगे।

(ख) प्रचालक किसी अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना समझे, पालन करेगा।

(ग) अस्थायी परमिट के प्रति करारकर्ता राज्यों का देय कर ई-पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में ई-पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम जो संभागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो अथवा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम जो देहरादून में भुगतान योग्य हो, जैसी भी स्थिति हो, देय होगा। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा के नजदीक हो, को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई अन्तर पाया जाता है, तो उसे नकद में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

निर्धारित और वसूल किया जायेगा और ऐसी स्थिति में विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

5. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-74 के अधीन पांच वर्षीय मोटर कैब व मैक्सी कैब अनुज्ञा-पत्र

ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब व मैक्सी कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्गों के लिए किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तो के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को न ही चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

6. ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र

उपरोक्त खण्ड-2 के अध्यधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए आवश्यकतानुसार ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा.पत्र जारी किये जा सकेंगे। यद्यपि, यदि किन्हीं कारणवश एक राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की वैधता दूसरे राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है, तो परिवहन प्राधिकारी, जिसके अधिक्षेत्र में उस समय वाहन हो, से आवश्यक फीस व कर की अदायगी पर नया अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(एक) ऐसे अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होंगेः.

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात नहीं किया जाऐगा।

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जाएगी तथा एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी।

(दो) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी को लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञापत्र मंजूर करने के पश्चात वापसी यात्रा का दिनांक बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से, जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस आशय की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

7. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र

किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या का निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए वैध होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

विशेष अनुज्ञा पत्र के प्रति करारकर्ता राज्यों का देय कर ई-पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में ई-पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम, जो संभागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो अथवा परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम, जो देहरादून में भुगतान योग्य हो, जैसी भी स्थिति हो, देय होगा। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा के नजदीक हो, को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई अन्तर पाया जाता है, तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और ऐसी स्थिति में विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

8. कराधान

(एक) विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर संचालित विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में करारकर्ता राज्य के करों का भुगतान सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(दो) परन्तु, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को, जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाये, करारकर्ता राज्य में उद्ग्रहणीय समस्त करों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

9. करों के संदाय का ढंग

(एक) अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट, जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं। आगे की यात्रा से पूर्व कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा से नजदीक हो, पर करारकर्ता राज्य अपने करों की वसूली की अपेक्षा करेगा।

ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा करों के अग्रिम भुगतान की स्थिति में ई-भुगतान का विवरण अथवा प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट जिनके द्वारा दूसरे राज्य के करों का भुगतान किया गया हो, की संख्या, दिनांक व धनराशि का विवरण अनुज्ञा पत्र के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ या परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून, जैसी भी स्थिति हो, को भेजा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी, ई-पेमेन्ट द्वारा अग्रिम भुगतान न किये जाने की दशा में ऐसा अनुज्ञा पत्र जारी करते समय स्वामी/चालक को आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले कर संगह केन्द्रों या सीमा के निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय या सम्बन्धित परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा से नजदीक हो, को करों के भुगतान हेतु निर्देशित करेगा।

(दो) सभी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों और विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां, ई-भुगतान अथवा भारत के किसी निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और/या परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून, जैसी भी स्थिति हो, को मासिक अन्तराल में भेजा जायेगा।

10. मंजिली गाड़ी

मंजिली गाड़ी का संचालन निम्नलिखित रीति से शासित होगाः-

(एक) उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों का संचालन अनुलग्नक "क" "ख" और "ग" में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर फेरों की संख्या यथास्थिति प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले किलोमीटर, मार्ग छोरों की स्थिति एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व उत्तराखण्ड परिवहन निगम के विभाजन की तिथि में संचालन के आधार पर निर्धारित होगी। यदि किसी कारणवश अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन.पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव न हो और सम्बन्धित राज्य के लिए अनुलग्नक में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध हो तो गृह राज्य अधिनियम की धारा 87(1)(ग) के अधीन अधिकतम चार माह की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य को सूचित कर जारी कर सकेगा। ऐसे अनुज्ञा पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

(दो) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो करारकर्ता राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए, गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87(1)(घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञा.पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा-81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(तीन) नियमित/अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर परमिटधारक सम्बन्धित राज्य के समक्ष प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(चार) करारकर्ता राज्य की मंजिली गाड़ियों में सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित लोगो व लीजेन्ड प्रदर्शित किया जायेगा।

(पांच) इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य एक एकल फेरा से है। अनुलग्नक में उल्लिखित मार्गो का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो छोरों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है और अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग की लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(छः) प्रारम्भिक समय सारिणी का निर्धारण अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाले प्राधिकारी द्वारा बिल्कुल औपबन्धक आधार पर किया जायेगा जो अधिकतम चार मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और सेवा का तत्काल प्रचालन करने के लिये ऐसा प्रतिहस्ताक्षर किया जायेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिहस्ताक्षर करने वाला प्राधिकारी अनुज्ञापत्र मंजूरी करने वाले प्राधिकारी के परामर्श से समय-सारिणी को अन्तिम रूप देगा।

(सात) किराया, भाड़ा, कर और बस स्टाप/स्टेशन, संबंधित राज्य द्वारा समय-समय पर विहित उपबन्धों/व्यवस्था के अनुसार होगा। एक राज्य से जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जायेगा।

(आठ) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित राज्य में अवस्थित मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए कोई प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(नौ) यथास्थिति करारकर्ता राज्य के सचिव/प्रमुख सचिव सभी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर लिखित रूप से आपसी सहमति पर, नये मार्गों के संचालन एवं विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया यह कृत्य समझौते का अंश समझा जायेगा।

(दस) एक वाहन एक परमिट से आच्छादित होगा।

11. प्रतिहस्ताक्षर

एक राज्य द्वारा पारस्परिक परिवहन समझौते के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र, सम्बन्धित राज्य के सचिव, संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस व अन्य देय करों के भुगतान के अध्यधीन सामान्यतया तत्काल निस्तारित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

12. समय-समय पर होने वाले मेलों के लिए विशेष प्रबन्ध

मेलों यथा उत्तराखण्ड में हरिद्वार एवं उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में कुम्भ व अर्द्ध कुम्भ मेलों व इसके अतिरिक्त पिरान कलियर, शाकुम्भरी देवी, गढ़ मेला व अन्य मेलों जिसमें करारकर्ता राज्यों के परिवहन आयुक्त सहमत हों, के दौरान भारी भीड़ व यातायात को नियंत्रित करने के लिए यह करार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

पाया गया कि मंजिली गाड़ियों के अस्थायी परमिट जारी किये जायेंगे और ऐसे परमिट करारकर्ता राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत करने पर सामान्यतया तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगें।

परन्तु यह कि यदि अस्थायी परमिट करारकर्ता राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों को जारी किये जाते हैं तो ऐसे अस्थायी परमिट व फेरों के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा समझौता किया जायेगा।

13. कारीडोर मार्ग

उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड, दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं। अतएव राज्य के मोटरयानों की, जो ऐसे मार्गो पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा ।

परन्तु यह कि व्यतिकारी यथा सम्भव कोरीडोर मार्ग निर्धारित करने में करारकर्ता राज्य के किलोमीटर को बरकरार रखेंगे।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा पत्र मार्ग के उस भाग के सम्बन्ध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है, विधिमान्य होगा।

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कारीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है। ऐसे मार्ग समझौते में सम्मिलित माने जायेंगे। ऐसे मार्गों पर जारी परमिटों की सूचना व्यतिकारी राज्यों द्वारा आदान-प्रदान की जायेगी। यद्यपि जहां कोरीडोर की दूरी 16 किलोमीटर से अधिक हो वहां ऐसे अनुज्ञा पत्र इस करार के उपबन्धों के अनुसार प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेगें।

14. सामान्य

(एक) सम्बन्धित करारकर्ता राज्य इस करार के अनुसार चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के सम्बन्धित नियमों के अध्यधीन जारी टैक्स टोकन, चालक व कन्डक्टर लाइसेन्स, परिवहन यान अधिकार पत्र, बैज, स्वस्थता प्रमाण-पत्र आदि को मान्यता देंगे।

(दो) यदि कोई परमिटधारक किसी एक राज्य द्वारा जारी एवं दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र के आधार पर संचालन कर रहा हो, दूसरे राज्य के कर की अदायगी करने में असफल रहता है और उसके बाद संचालन बन्द कर देता है तो ऐसे चूककर्ता से कर की वसूली में दोनों राज्य एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(तीन) यह पारस्परिक करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों पक्षकारों के मध्य नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाय या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा छः माह की सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये हैं:-

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से	उत्तराखण्ड के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
(आराधना शुक्ला) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	(शैलेश बगौली) सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
साक्षी	साक्षी
(डा0 ब्रह्म देव राम तिवारी), अपर प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ	(दीपक जैन), महाप्रबन्धक (संचालन), उत्तराखण्ड राज्य सड़क परिवहन निगम, देहरादून

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-ए

उत्तराखण्ड परिवहन निगम के संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित ट्रूपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
1	टनकपुर-अमृतसर	289	150	2	2	300
2	टनकपुर-लुधियाना	289	150	4	4	600
3	टनकपुर-शिमला	289	150	2	3	300
4	टनकपुर-चण्डीगढ	279	150	4	4	600
5	टनकपुर-सहारनपुर	279	135	2	2	270
6	टनकपुर-हरिद्वार	226	112	8	8	896
7	टनकपुर-देहरादून	285	112	12	12	1344
8	टनकपुर-आगरा-मथुरा	37	361	2	2	722
9	टनकपुर-कानपुर	37	348	2	2	696
10	टनकपुर-लखनऊ	37	339	2	2	678
11	टनकपुर-बरेली	37	80	26	13	2080
12	टनकपुर-दिल्ली	110	230	26	20	5980
13	टनकपुर-जयपुर दिल्ली	110	230	1	1	230
14	टनकपुर-गुडगांव	110	230	2	2	460
15	टनकपुर-ग्वालियर	37	366	2	2	732
16	टनकपुर-मनाली	289	150	2	2	300
17	टनकपुर-फरीदाबाद	110	230	2	2	460
18	टनकपुर-दिल्ली-रेवाडी	110	230	2	2	460
19	टनकपुर-देहरादून-पौंटा	334	112	2	2	224
20	महेन्द्रनगर-टनकपुर-देहरादून	285	112	4	4	448
21	महेन्द्रनगर-टनकपुर-दिल्ली	110	230	4	4	920
22	टनकपुर-पानीपत	238	160	2	2	320
23	टनकपुर-दिल्ली-रेवाड़ी	110	230	2	2	460
24	टनकपुर-हिसार	110	230	2	2	460
25	टनकपुर-होशियारपुर	289	150	2	2	300
26	नानकमत्ता-अमृतसर	243	150	2	2	300
27	टनकपुर-धर्मशाला वाया सहारनपुर	289	150	2	2	300
28	लोहाघाट-दिल्ली	199	230	8	8	1840
29	डीडीहाट -दिल्ली	316	230	2	4	460
30	धारचूला-देहली	357	230	2	4	460
31	लोहाघाट- देहरादून	374	112	6	6	672
32	लोहाघाट- ऋषिकेश	345	112	2	2	224
33	लोहाघाट-बरेली	126	80	4	4	320
34	झूलाघाट-दिल्ली	297	230	2	3	460
35	पिथौरागढ़-दिल्ली	261	230	10	15	2300
36	थल-पिथौरागढ़-दिल्ली	323	230	2	3	460
37	पिथौरागढ़-गंगोलीहाट-दिल्ली	285	230	2	3	460
38	घारचूला-टनकपुर-दिल्ली	357	230	2	4	460

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित टूपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
39	मुन्स्यारी-दिल्ली	367	230	2	5	460
40	धारचूला-शेराघाट-दिल्ली	355	230	2	4	460
41	पिथौरागढ़-हल्द्वानी-दिल्ली	253	230	2	3	460
42	झूलाघाट-देहरादून	472	112	2	3	224
43	पिथौरागढ़-देहरादून	436	112	6	9	672
44	पिथौरागढ़-हरिद्वार	373	112	4	4	448
45	पिथौरागढ़-बदायूँ	188	132	2	2	264
46	पिथौरागढ़-बरेली	188	80	6	6	480
47	डीडीहाट-देहरादून	517	112	2	3	224
48	मुन्स्यारी -देहरादून	542	112	2	4	224
49	गनाई-रामनगर-दिल्ली	219	210	2	2	420
50	गनाई-हल्द्वानी-दिल्ली	186	230	2	2	460
51	रानीखेत-दिल्ली	132	230	4	4	920
52	रानीखेत-हल्द्वानी-दिल्ली	132	230	2	2	460
53	मासी-रामनगर-दिल्ली	219	210	2	2	420
54	गैरसैण-रामनगर-दिल्ली	291	210	2	3	420
55	रानीखेत-लखनऊ	130	328	2	2	656
56	गोलूछीना-बरेली	148	64	2	2	128
57	बिन्ता-बरेली	172	64	2	2	128
58	रानीखेत-रामनगर-देहरादून	250	112	2	2	224
59	रानीखेत-हल्द्वानी-देहरादून	307	112	2	2	224
60	अल्मोडा-दिल्ली	146	230	8	8	1840
61	अल्मोडा-दिल्ली-भद्रकाली	275	230	2	2	460
62	बागेश्वर-दिल्ली-गरूड	229	230	2	3	460
63	बागेश्वर-दिल्ली-पचार-धरमधर	289	230	2	3	460
64	बागेश्वर-बरेली	215	64	2	2	128
65	अल्मोडा-देहरादून	322	112	8	8	896
66	अल्मोडा-हरिद्वार	251	112	2	2	224
67	अल्मोडा-लखनऊ	144	328	2	2	656
68	अल्मोडा-चण्डीगढ	315	150	2	2	300
69	धारचूला-अल्मोडा-देहरादून	322	112	2	2	224
70	भवाली-नैनीताल-मंसूरी	315	112	2	2	224
71	भवाली-नैनीताल-बरेली	92	64	4	2	256
72	सुरईखेत-दिल्ली	187	230	2	2	460
73	भराडी-भवाली-दिल्ली	269	230	2	2	460
74	दड़ियाल-दिल्ली	87	230	2	2	460
75	भवाली-नैनीताल-देहरादून वाया रामनगर	266	112	4	4	448
76	भवाली-नैनीताल-दिल्ली	94	230	2	2	460
77	मंगोली-भवाली-दिल्ली	80	210	2	2	420

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित ट्रिप	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
78	भवाली-नैनीताल-सहारनपुर	263	135	2	2	270
79	भवाली-नैनीताल-आगरा	92	297	2	2	594
80	भवाली-नैनीताल-देहरादून वाया रूद्रपुर	269	112	2	2	224
81	रूद्रपुर-दिल्ली-हल्द्वानी	43	230	28	14	6440
82	रूद्रपुर-पटियाला-बनबसा	276	150	2	2	300
83	रूद्रपुर-लुधियाना-बनबसा	276	150	2	2	300
84	रूद्रपुर-हल्द्वानी-देहरादून	218	112	8	4	896
85	रूद्रपुर-हरिद्वार-हल्द्वानी	155	112	6	3	672
86	रूद्रपुर-कालागढ-हल्द्वानी	114	36	2	1	72
87	रूद्रपुर-बदायूँ	20	99	4	2	396
88	रूद्रपुर-शक्तिफार्म-दिल्ली	59	230	2	2	460
89	रूद्रपुर-हरिद्वार-रूद्रपुर	121	112	12	6	1344
90	रूद्रपुर-हल्द्वानी-चण्डीगढ. वाया सहारनपुर	212	150	2	2	300
91	रूद्रपुर-आगरा	20	297	2	2	594
92	रूद्रपुर-लखनऊ	20	328	2	2	656
93	रूद्रपुर-नानकमत्ता-दिल्ली	86	230	2	2	460
94	रूद्रपुर-बनबसा-दिल्ली	93	230	2	2	460
95	रूद्रपुर-खटीमा-दिल्ली	86	230	2	2	460
96	रूद्रपुर-देहरादून-टनकपुर	285	112	4	4	448
97	हल्द्वानी-दिल्ली	43	230	28	14	6440
98	हल्द्वानी-दिल्ली-शामली	43	319	2	2	638
99	हल्द्वानी-नैनीताल-दिल्ली	83	230	4	4	920
100	हल्द्वानी-धामपुर-दिल्ली	114	230	2	2	460
101	हल्द्वानी-गुडगॉव	43	230	2	2	460
102	हल्द्वानी-बल्लभगढ अपडाउन	43	230	2	2	460
103	हल्द्वानी-बरेली	41	64	10	5	640
104	हल्द्वानी-लखनऊ	41	328	2	2	656
105	हल्द्वानी-कानपुर	41	335	2	2	670
106	हल्द्वानी-मेरठ	43	193	2	1	386
107	हल्द्वानी-चण्डीगढ	212	150	6	6	900
108	हल्द्वानी-पठानकोट(जालन्धर)	222	150	2	2	300
109	हल्द्वानी-देहरादून	267	112	22	11	2464
110	हल्द्वानी-पोंटासाहिब	264	112	2	2	224
111	हल्द्वानी-मुजपफरनगर-शामली	114	201	2	2	402
112	हल्द्वानी-हरिद्वार	155	112	4	2	448
113	हल्द्वानी-कोटद्वार	115	112	2	1	224
114	हल्द्वानी- ऋषिकेश	189	112	2	1	224
115	हल्द्वानी-फरीदाबाद	43	230	4	2	920

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित टूपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
116	हल्द्वानी-देहरादून-पौंटा- चण्डीगढ	264	112	2	2	224
117	हल्द्वानी-रामनगर-हरिद्वार-सहारनपुर-शिमला	194	160	2	2	320
118	हल्द्वानी-फरीदाबाद	43	230	2	2	460
119	हल्द्वानी-दिल्ली-सिरसा	43	230	2	2	460
120	हल्द्वानी-कुरूक्षेत्र	194	160	2	2	320
121	हल्द्वानी-भिवानी	194	160	2	2	320
122	हल्द्वानी-कालागढ	114	36	4	2	144
123	बाजपुर-काशीपुर-चण्डीगढ	173	150	2	2	300
124	काशीपुर-आगरा-रामनगर	40	295	2	2	590
125	काशीपुर-रामपुर-रूद्रपुर	39	99	2	1	198
126	काशीपुर-हरिद्वार	63	112	8	4	896
127	काशीपुर-रामनगर-दिल्ली	40	210	18	9	3780
128	काशीपुर-मेरठ	12	171	2	1	342
129	काशीपुर-लखनऊ	76	328	2	2	656
130	काशीपुर-रामनगर-जयपुर	40	210	2	2	420
131	काशीपुर-देहरादून	126	112	8	4	896
132	काशीपुर-हरिद्वार-रूद्रपुर	119	112	14	7	1568
133	काशीपुर-भोगपुर-रूद्रपुर	80	51	2	1	102
134	काशीपुर-बाजपुर-देहरादून	155	112	2	1	224
135	बाजपुर-काशीपुर-देहरादून-पौंटा	204	112	2	2	224
136	काशीपुर-कालागढ-दिल्ली	27	194	4	2	776
137	काशीपुर-सिरसा	12	210	2	2	420
138	रामनगर-बरेली	104	64	2	1	128
139	रामनगर-देहरादून	154	112	4	2	448
140	रामनगर-चण्डीगढ	148	150	2	2	300
141	देघाट-दिल्ली	168	210	2	3	420
142	जौरासी-दिल्ली	191	210	2	3	420
143	केरला-दिल्ली	133	210	2	2	420
144	रामनगर-दिल्ली	40	210	14	7	2940
145	सराईखेत-दिल्ली	145	210	2	2	420
146	देघाट-देहरादून	282	112	2	3	224
147	रामनगर-कोटद्वार	155	112	2	1	224
148	बैजरो-दिल्ली	161	210	2	3	420
149	रामनगर-हरिद्वार	91	112	6	3	672
150	रामनगर-फरीदाबाद	40	210	2	1	420
151	रामनगर-गुडगांव	40	210	2	1	420
152	काठगोदाम-नैनीताल-देहरादून	258	112	4	4	448
153	काठगोदाम-नैनीताल-दिल्ली	83	230	4	4	920
154	काठगोदाम-कानपुर	47	335	1	1	335

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित टूपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
155	काठगोदाम-लुधियाना	215	150	4	4	600
156	काठगोदाम-चण्डीगढ वाया सहारनपुर	215	150	4	4	600
157	काठगोदाम-बरेली	47	64	10	5	640
158	काठगोदाम-आगरा	49	314	4	4	1256
159	बाजपुर-काशीपुर-देहरादून-पौंटा	228	112	2	2	224
160	धरमघर-दिल्ली	276	230	2	3	460
161	देवाल-दिल्ली	287	230	2	3	460
162	बासबगड-दिल्ली	289	230	2	3	460
163	नैनीताल-जयपुर	83	230	2	2	460
164	काठगोदाम-देहरादून	224	112	2	1	224
165	काठगोदाम-दिल्ली	49	230	48	24	11040
166	काठगोदाम-मुरादाबाद	49	68	4	2	272
167	काठगोदाम-गुडगॉव	49	230	2	1	460
168	काठगोदाम-लखनऊ	47	328	2	2	656
169	काठगोदाम-मथुरा	47	283	2	2	566
170	काठगोदाम-चण्डीगढ वाया पौटासाहिब	283	112	2	2	224
171	काठगोदाम-नैनीताल-बरेली	81	64	6	3	384
172	काठगोदाम-बाजपुर-देहरादून	210	112	2	1	224
173	काठगोदाम-हिसार	49	230	2	2	460
174	काठगोदाम-हल्द्वानी-हरिद्वार	161	112	6	3	672
175	नैनीताल-ग्वालियर वाया मुरादाबाद- अतरौली- आगरा	43	314	2	2	628
176	काठगोदाम-पानीपत	216	160	2	2	320
177	नैनीताल-जयपुर	83	230	2	2	460
178	नैनीताल-दिल्ली-रोहतक	83	230	2	2	460
179	नैनीताल-दिल्ली-नारनौल	83	230	2	2	460
180	नैनीताल-फरीदाबाद	83	230	2	2	460
181	नैनीताल-गुडगांव	83	230	2	2	460
182	देहरादून-दिल्ली	61	186	102	51	18972
183	देहरादून-दिल्लीवाया झबरेडा	61	188	4	2	752
184	देहरादून-नोयडा	61	206	4	2	824
185	देहरादून-दिल्ली-गुड़गॉवा	61	186	12	6	2232
186	देहरादून-पौटा-दिल्ली	100	186	2	2	372
187	देहरादून-कालसी-दिल्ली	100	186	2	2	372
188	प्रेमनगर-देहरादून-फरीदाबाद	111	186	4	2	744
189	देहरादून-हल्द्वानी	218	112	24	12	2688
190	देहरादून-कोटद्वार	105	46	26	13	1196
191	देहरादून-टनकपुर	285	112	4	2	448

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित ट्रपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
192	देहरादून-बिजनौर	103	59	2	1	118
193	देहरादून-लुधियाना	14	71	2	2	142
194	देहरादून-लखनऊ	103	490	2	2	980
195	देहरादून-कानपुर	103	497	2	2	994
196	देहरादून-सहारनपुर-चण्ड़ीगढ़	11	74	2	1	148
197	देहरादून-बरेली	103	226	8	4	1808
198	देहरादून-मुरादाबाद	103	135	2	1	270
199	देहरादून-आगरा	61	355	6	6	2130
200	देहरादून-मथुरा	61	291	2	2	582
201	देहरादून-काशीपुर	126	112	12	6	1344
202	देहरादून-टनकपुर	285	112	4	4	448
203	देहरादून-रामनगर	154	112	2	1	224
204	देहरादून-रूडकी	40	33	42	7	1386
205	देहरादून-दिल्ली-रेवाड़ी	61	186	2	1	372
206	भाउवाला-दिल्ली	61	186	2	1	372
207	देहरादून-ग्वालियर वाया आगरा-दिल्ली	61	301	2	2	602
208	देहरादून-कुरूक्षेत्र-पेहवा वाया सहारनुपर	11	63	2	1	126
209	देहरादून-भिवानी	11	63	2	1	126
210	देहरादून-अम्बाला कैंट	11	63	2	1	126
211	देहरादून-करनाल	11	63	2	1	126
212	देहरादून-फरीदाबाद	61	186	4	2	744
213	देहरादून-दिल्ली-रेवाड़ी	61	186	2	1	372
214	देहरादून-पटियाला	11	63	2	2	126
215	देहरादून-अमृतसर	11	63	2	2	126
216	रूड़की-देहरादून-दिल्ली- हरिद्वार	61	186	12	6	2232
217	रूड़की-ऋषिकेश-दिल्ली-हरिद्वार	89	150	18	9	2700
218	रूड़की-हरिद्वार-चण्डीगढ़	57	38	2	1	76
219	रूड़की-मु0नगर-रूड़की	24	35	12	3	420
220	रूड़की-देहरादून-ऋषिकेश-दिल्ली	175	183	2	1	366
221	रूड़की-देहरादून	40	33	30	5	990
222	रूड़की-पौंटा साहिब-रूड़की	91	33	2	1	66
223	रूड़की-सहारनपुर-नैनीताल-रूड़की	249	138	4	2	552
224	रूड़की-देवबंद-रूड़की	20	12	6	3	72
225	रूड़की-देहरादून-झबरेडा-दिल्ली-हरिद्वार	61	188	4	2	752
226	रूडकी-देहरादून-हरिद्वार- हल्द्वानी	258	145	6	3	870

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित ट्रपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
227	रूड़की-हरिद्वार-अम्बाला	57	38	2	1	76
228	कोटद्वार-दिल्ली	2	197	36	18	7092
229	कोटद्वार-गुड़गॉव	2	197	4	2	788
230	कोटद्वार-देहरादून	105	46	14	7	644
231	कोटद्वार-चण्डीगढ़	96	87	2	2	174
232	कोटद्वार-कालागढ़	2	113	4	2	452
233	कोटद्वार-त्रिपाली सैण-दिल्ली	147	197	2	3	394
234	कोटद्वार-पौडी-दिल्ली-श्रीनगर	137	197	4	4	788
235	कोटद्वार-बीरोंखाल-दिल्ली	136	197	2	3	394
236	कोटद्वार-पौखड़ा-दिल्ली	131	197	2	3	394
237	कोटद्वार-फरीदाबाद	2	197	4	2	788
238	कोटद्वार-जयपुर	2	197	2	2	394
239	कोटद्वार-अमृतसर	98	83	2	2	166
240	कोटद्वार-झण्डीचौड़-हरिद्वार	58	46	2	1	92
241	नजीबाबाद-कोटद्वार-नजीबाबाद	2	23	6	1	138
242	कोटद्वार-नजीबाबाद-लैसडौन	43	23	4	1	92
243	बिजनौर-कोटद्वार-बिजनौर	2	59	4	1	236
244	कोटद्वार-संगरूर	96	87	2	2	174
245	कोटद्वार-देहरादून-विकासनगर-पौंटा	161	38	2	1	76
246	देहरादून-जयपुर	61	186	6	6	1116
247	देहरादून-डिंगलिंग-दिल्ली	71	186	4	2	744
248	देहरादून-गढ़ी-दिल्ली	71	186	4	2	744
249	देहरादून-रायपुर-दिल्ली	71	186	4	2	744
250	देहरादून-राजपुर-दिल्ली	71	186	4	2	744
251	देहरादून-हाथीबडकला-दिल्ली	69	186	2	1	372
252	देहरादून-नैनीताल	258	112	6	6	672
253	देहरादून-दिल्ली-हरिद्वार-दिल्ली-देहरादून	55	186	4	2	744
254	देहरादून-दिल्ली-ऋषिकेश- दिल्ली-देहरादून	89	186	4	2	744
255	देहरादून-दिल्ली-विकासनगर	61	186	4	2	744
256	ऋषिकेश-कानपुर	74	495	2	2	990
257	ऋषिकेश-देहली	89	150	50	25	7500
258	ऋषिकेश-दिल्ली-कर्णप्रयाग	264	150	2	2	300
259	ऋषिकेश-दिल्ली-गोपेश्वर	307	150	2	2	300
260	ऋषि0 -दिल्ली-श्रीनगर	197	150	2	2	300
261	ऋषिकेश-दिल्ली- टिहरी	168	150	2	1	300
262	ऋषिकेश-नैनीताल	227	112	2	2	224
263	ऋषिकेश-चण्डीगढ़-श्रीनगर	199	38	4	2	152

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित टूपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
264	ऋषिकेश-चण्डीगढ़-टिहरी	181	38	2	1	76
265	ऋषिकेश-दिल्ली-घनसाली	223	150	2	2	300
266	ऋषिकेश-दिल्ली-गुप्तकाशी	276	150	2	2	300
267	ऋषिकेश-दिल्ली-उत्तरकाशी	262	150	2	2	300
268	ऋषिकेश-रूपेडिया वाया मुरादाबाद	174	541	2	2	1082
269	ऋषिकेश-टनकपुर	256	112	8	8	896
270	ऋषिकेश-फरीदाबाद	89	150	2	1	300
271	ऋषिकेश-सहारनपुर	91	23	6	3	138
272	ऋषिकेश -अमृतसर	91	38	2	2	76
273	ऋषिकेश-गुडगॉवा	89	150	2	1	300
274	ऋषिकेश-आगरा	89	319	2	2	638
275	ऋषिकेश-देहली-रेवाड़ी	89	150	2	2	300
276	ऋषिकेश-देहली-यमकेश्वर	89	150	2	2	300
277	ऋषिकेश-जयपुर वाया दिल्ली	89	150	2	2	300
278	ऋषिकेश-ग्वालियर वाया मेरठ-आगरा	89	331	2	2	662
279	श्रीनगर-शिमला वाया सहारनपुर	199	38	2	2	76
280	ऋषिकेश-कैथल	94	38	2	1	76
281	ऋषिकेश-दिल्ली-रेवाड़ी	89	150	2	1	300
282	ऋषिकेश-पानीपत	89	38	2	1	76
283	ऋषिकेश-चण्डीगढ़	91	38	2	1	76
284	ऋषिकेश-टिहरी-संगरूर	181	38	2	2	76
285	देहरादून-धुमाकोट	219	46	2	2	92
286	देहरादून-लैन्सीडोन	144	46	2	1	92
287	देहरादून-दिल्ली-कालसी	111	186	2	2	372
288	देहरादून-मसूरी-सहारनपुर	57	59	6	3	354
289	देहरादून-दिल्ली-फरीदाबाद	61	186	8	4	1488
290	देहरादून-मसूरी-दिल्ली	107	186	8	4	1488
291	सहस्त्रधारा-दिल्ली	74	186	2	1	372
292	देहरादून-दिल्ली-मसूरी	107	186	4	2	744
293	देहरादून-काशीपुर-पौटां	176	112	2	2	224
294	देहरादून-सहारनपुर	11	59	60	10	3540
295	देहरादून-कोट0-ऋषिकेश	181	92	2	1	184
296	मसूरी-ग्वालियर वाया दिल्ली	107	301	2	2	602
297	हरिद्वार-सहारनपुर-शिमला	57	38	10	10	380
298	हरिद्वार-चण्डीगढ़-कोटद्वार	99	84	2	1	168
299	हरिद्वार-चण्डीगढ़-ऋषिकेश	91	38	2	1	76
300	हरिद्वार-कैथल-हरिद्वार	57	38	2	2	76
301	हरिद्वार-दिल्ली-ऋषिकेश	89	150	54	27	8100

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तराखण्ड में दूरी	उत्तर प्रदेश में दूरी	निर्धारित ट्रपि	निर्धारित परमिट	उत्तर प्रदेश में कि0मी0
302	हरिद्वार-जम्मू-कटरा वाया सहारनपुर	57	38	2	2	76
303	हरिद्वार-रूपेडिया वाया मुरादाबाद	40	536	8	8	4288
304	हरिद्वार-रूपेडिया वाया काशीपुर	469	112	7	7	784
305	रूपेडिया-शिमला वाया काशीपुर	526	150	8	8	1200
306	हरिद्वार-पुष्कर	55	150	4	4	600
307	हरिद्वार-जयपुर	55	150	4	4	600
308	हरिद्वार-हल्द्वानी	155	112	40	20	4480
309	हरिद्वार-कोटद्वार-देहरादून	105	46	4	2	184
310	हरिद्वार-मुरादाबाद	40	135	2	1	270
311	हरिद्वार-चण्डीगढ़-हरिद्वार	57	38	8	4	304
312	हरिद्वार-सहारनपुर-हरिद्वार	57	23	32	8	736
313	हरिद्वार-कालागढ	40	113	2	1	226
314	हरिद्वार-कुतुबगढ़	55	150	2	1	300
315	हरिद्वार-देहरादून-रूड़की- हरिद्वार	134	33	6	3	198
316	हरिद्वार-देहरादून-रामनगर-हरिद्वार	217	112	4	2	448
317	हरिद्वार-देहरादून-टनकपुर-हरिद्वार	285	112	4	2	448
318	हरिद्वार-रोहतक-रामनगर	212	150	2	2	300
319	हरिद्वार-मनाली वाया सहारनपुर	57	38	2	2	76
320	हरिद्वार-मथुरा-जयपुर	55	322	2	2	644
321	हरिद्वार-जयपुर-अजमेर	55	139	1	1	139
322	हल्द्वानी-जयपुर वाया दिल्ली	43	230	2	2	460
323	हरिद्वार-ग्वालियर वाया मेरठ-आगरा	55	331	2	2	662
324	हरिद्वार-करनाल	57	38	2	1	76
325	हरिद्वार-कुरूक्षेत्र	57	38	2	1	76
326	हरिद्वार-जिन्द	57	38	2	1	76
327	हरिद्वार-रोहतक	57	38	4	2	152
328	हरिद्वार-अम्बाला कैंट	57	38	4	2	152
329	हरिद्वार-दिल्ली-पलवल	55	150	2	1	300
330	हरिद्वार-दिल्ली-गुडगांव	55	150	2	1	300
331	हरिद्वार-धर्मशाला वाया सहारनपुर	57	150	2	2	300
332	हरिद्वार-सहारनपुर-चण्डीगढ़-शिमला-रामपुर	57	38	2	2	76
333	हरिद्वार-पटियाला	57	38	2	1	76
334	हरिद्वार-पठानकोट	57	38	2	2	76
335	हरिद्वार-लुधियाना	57	38	2	2	76
कुल योगः-		**46690**	**54003**	**1730**	**1122**	**252592**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-बी

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
1	दिल्ली-ऋषिकेश	147	89	148	75	13172
2	दिल्ली-देहरादून	198	61	226	113	13786
3	दिल्ली-कोटद्वार	200	2	126	63	252
4	दिल्ली-हल्द्वानी	241	43	50	25	2150
5	दिल्ली-रामनगर	216	40	36	18	1440
6	दिल्ली-टनकपुर	241	110	12	12	1320
7	दिल्ली-हरिद्वार	147	55	98	50	5390
8	दिल्ली-कालागढ़	226	7	8	8	56
9	नोएडा-देहरादून	205	61	10	8	610
10	नोएडा-ऋषिकेश	158	89	4	2	356
11	मथुरा-हरिद्वार	300	55	2	2	110
12	नोएडा-कोटद्वार	215	2	8	8	16
13	नोएड़ा-हरिद्वार	158	55	10	8	550
14	मेरठ-हल्द्वानी	201	43	24	14	1032
15	मेरठ-टनकपुर	201	110	10	7	1100
16	मेरठ-रामनगर	175	40	4	2	160
17	आगरा-सहारनपुर-देहरादून	384	11	2	2	22
18	आगरा-मेरठ-देहरादून	362	61	10	10	610
19	आगरा-मेरठ-हरिद्वार	327	55	8	8	440
20	फिरोजाबाद-आगरा-हरिद्वार	370	55	2	2	110
21	आगरा-मेरठ-ऋषिकेश	320	89	4	4	356
22	आगरा-दिल्ली-देहरादून	295	61	2	2	122
23	आगरा-अलीगढ़-हल्द्वानी	318	43	2	2	86
24	वृन्दावन-मथुरा-हरिद्वार	296	55	2	2	110
25	मेरठ-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	85	55	20	10	1100
26	मुज्जफरनगर-हरिद्वार	28	55	10	5	550
27	बुढ़ाना-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	82	55	6	5	330
28	हस्तिनापुर-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	88	55	4	2	220
29	कैराना-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	90	55	8	4	440
30	शामली-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	75	55	6	5	330

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
31	शुक्रताल-मुज्जफरनगर-हरिद्वार	58	55	4	2	220
32	मेरठ-मुज्जफरनगर-ऋषिकेश	83	89	20	10	1780
33	मुज्जफरनगर-ऋषिकेश	25	89	10	5	890
34	शामली-मुज्जफरनगर-ऋषिकेश	75	89	10	10	890
35	दिल्ली-सहारनपुर-डाकपत्थर	215	21	4	2	84
36	मोदीनगर-रूड़की-सहारनपुर-शाकुम्भरी देवी	94	54	10	5	540
37	मुज्जफरनगर-बिजनौर-कोटद्वार	106	2	6	3	12
38	सहारनपुर-हरिद्वार-कोटद्वार	106	96	6	3	576
39	मुज्जफरनगर-बिजनौर-टनकपुर-बनबसा	171	182	4	2	728
40	सहारनपुर-हरिद्वार-टनकपुर	109	279	4	4	1116
41	मुज्जफरनगर-रूड़की	28	24	20	5	480
42	सहारनपुर-हरिद्वार-हल्द्वानी-नैनीताल	161	252	4	4	1008
43	सहारनपुर-मुज्जफरनगर-बिजनौर-धामपुर-नैनीताल	216	155	2	2	310
44	सहारनुपर-हरिद्वार-हल्द्वानी	115	212	4	4	848
45	शामली-मु0नगर-हल्द्वानी	200	115	4	2	460
46	शामली-मु0नगर-काशीपुर	200	24	4	2	96
47	शामली-मु0नगर-टनकपुर-बनबसा	281	182	4	4	728
48	शामली-मु0नगर-काठगोदाम	200	121	4	2	484
49	मुज्जफरनगर-बिजनौर-हल्द्वानी-नैनीताल	153	155	4	2	620
50	मुज्जफरनगर-काशीपुर	153	24	6	3	144
51	मुज्जफरनगर-रूद्रपुर	153	81	2	3	162
52	मुज्जफरनगर-हल्द्वानी	153	115	6	3	690
53	मुज्जफरनगर-काठगोदाम	153	121	6	3	726
54	गंगोह-सहारनपुर-हरिद्वार	72	57	10	5	570
55	मुज्जफरनगर-टनकपुर-बनबसा	234	182	4	2	728
56	सहारनपुर-हरिद्वार-मुरादाबाद	165	97	10	5	970
57	करनाल-लखनोटी-गंगोह-सहारनपुर-हरिद्वार	78	57	20	10	1140
58	सहारनपुर-हरिद्वार	27	57	160	32	9120
59	सहारनपुर-ऋषिकेश	27	91	40	20	3640

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
60	सहारनपुर-देहरादून	58	11	120	24	1320
61	दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून	215	11	12	6	132
62	दिल्ली-सहारनपुर-हरिद्वार	184	55	20	10	1100
63	दिल्ली-सहारनपुर-ऋषिकेश	184	91	12	9	1092
64	सहारनुपुर-देहरादून-लखनऊ	543	115	6	9	690
65	सहारनुपर-झबरेड़ा-मंगलौर-रूड़की	38	20	10	6	200
66	देवबंद-रूड़की-हरिद्वार	6	51	10	3	510
67	देवबंद-मंगलौर-रूड़की	6	20	10	2	200
68	गंगोह-ननौता-देवबंद-हरिद्वार	58	51	10	4	510
69	नजीवाबाद-हरिद्वार-टनकपुर	130	262	4	4	1048
70	मुरादाबाद-देहरादून	135	103	15	15	1545
71	मुरादाबाद-हल्द्वानी	68	43	60	20	2580
72	मुरादाबाद-रामनगर	48	40	60	20	2400
73	मुरादाबाद-हरिद्वार-सहारनपुर	171	97	4	4	388
74	मुरादाबाद-ऋषिकेश	130	74	6	3	444
75	अमरोहा-देहरादून	110	103	6	3	618
76	काशीपुर-बिजनौर-दिल्ली	245	24	4	4	96
77	काशीपुर-चांदपुर-दिल्ली	259	24	3	6	72
78	बिजनौर-हरिद्वार	51	40	12	4	480
79	बिजनौर-ऋषिकेश	41	74	2	1	148
80	बिजनौर-देहरादून	51	103	4	2	412
81	चांदपुर-हरिद्वार	91	40	4	2	160
82	रामपुर-हल्द्वानी	39	43	20	5	860
83	बाजपुर-टाण्डा-डढ़ियाल-मुरादाबाद-दिल्ली	205	5	6	3	30
84	बाजपुर-स्वार-रामपुर-दिल्ली	231	5	8	4	40
85	बहराईच-रूपैड़िया-मुरादाबाद-हरिद्वार	538	40	8	12	320
86	नजीवाबाद-हरिद्वार	21	40	20	10	800
87	नजीबाबाद-कोटद्वार-हरिद्वार	44	44	10	5	440
88	अमरोहा-हरिद्वार	110	40	10	5	400
89	नूरपुर-हरिद्वार	74	40	6	3	240
90	अमरोहा-हल्द्वानी	109	43	4	2	172

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
91	सम्भल-हल्द्वानी	109	43	4	2	172
92	रामपुर-देहरादून	163	103	4	4	412
93	रामपुर-रूद्रपुर-हरिद्वार	167	130	2	2	260
94	नजीबाबाद-देहरादून	20	103	10	4	1030
95	बिजनौर-टनकपुर	109	182	4	4	728
96	रामपुर-हरिद्वार	162	40	4	4	160
97	नजीबाबाद-कोटद्वार	23	2	10	1	20
98	बिजनौर-कोटद्वार	64	2	10	2	20
99	मुरादाबाद-हरिद्वार	133	40	10	5	400
100	आगरा-हल्द्वानी	333	43	14	14	602
101	आगरा-ऋषिकेश	369	89	20	20	1780
102	आगरा-हरिद्वार	369	55	6	6	330
103	आगरा-देहरादून	368	61	16	16	976
104	आगरा-टनकपुर	355	37	10	10	370
105	मथुरा-ऋषिकेश	306	89	4	4	356
106	अलीगढ़-हल्द्वानी	245	43	4	4	172
107	अलीगढ़-हरिद्वार वाया अनूपशहर	222	55	2	2	110
108	इटावा-हरिद्वार	417	55	2	2	110
109	शिकोहाबाद-आगरा-हरिद्वार	381	55	4	4	220
110	शिकोहाबाद-मेरठ-कोटद्वार	441	2	2	2	4
111	औरैया-हरिद्वार	480	55	2	2	110
112	औरैया-हल्द्वानी	353	43	2	2	86
113	बरेली-हरिद्वार	223	40	6	6	240
114	बरेली-देहरादून	223	103	4	4	412
115	बरेली-टनकपुर	80	37	48	24	1776
116	बरेली-हल्द्वानी	63	41	68	17	2788
117	बरेली-काशीपुर	63	76	12	6	912
118	बरेली-नैनीताल	63	81	8	4	648
119	बरेली-रूपैड़िहा-हरिद्वार	540	40	2	3	80
120	बदांयू-देहरादून	245	103	2	2	206
121	बदांयू-हल्द्वानी	111	51	8	4	408
122	बदांयू-हरिद्वार	245	40	2	2	80
123	पीलीभीत-बरेली-हल्द्वानी	120	41	8	4	328

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
124	पीलीभीत-अमरिया-हरिद्वार	140	169	4	4	676
125	पीलीभीत-टनकपुर-हरिद्वार	133	263	4	4	1052
126	पीलीभीत-अमरिया-दिल्ली	248	57	4	4	228
127	पीलीभीत-रिछा-बहेड़ी-दिल्ली	279	57	2	2	114
128	पूरनपुर-रूद्रपुर-काशीपुर-सहारनपुर	201	276	4	4	1104
129	बरेली-मझोला-रूद्रपुर-दिल्ली	251	123	2	2	246
130	पीलीभीत-बरेली-हरिद्वार	280	40	4	4	160
131	पूरनपुर-खटीमा	75	86	2	2	172
132	सीतापुर-रूपैड़िया-हरिद्वार	529	40	6	9	240
133	शाहजहांपुर-रूपैड़िया-हरिद्वार	529	40	2	3	80
134	गोला-रूपैड़िया-हरिद्वार	537	40	2	3	80
135	कर्तनियाघाट-बिछिया-गोला-हरिद्वार	488	40	2	3	80
136	गोला-गौरीफण्टा-हरिद्वार	529	40	2	3	80
137	शाहजहांपुर-बरेली-हल्द्वानी	139	41	2	1	82
138	मुर्तिया चौकी-लखीमपुर-मुरादाबाद-हरिद्वार	523	40	2	3	80
139	सीतापुर-बरेली-हल्द्वानी-काठगोदाम	201	47	2	2	94
140	सीतापुर-रूद्रपुर-काशीपुर	235	104	2	2	208
141	लखनऊ-टनकपुर	343	37	2	2	74
142	लखनऊ-हल्द्वानी	325	41	2	2	82
143	लखनऊ-देहरादून	482	103	2	2	206
144	लखनऊ-हरिद्वार	482	40	2	2	80
145	कानपुर-काठगोदाम	331	47	6	6	282
146	कानपुर-देहरादून	492	103	6	9	618
147	कानपुर-ऋषिकेश	492	74	2	3	148
148	कानपुर-हरिद्वार	492	40	8	12	320
149	कानपुर-हल्द्वानी	331	41	4	4	164
150	कानपुर-टनकपुर	418	37	4	4	148
151	कानपुर-काशीपुर	340	76	4	4	304
152	बहराईच-रूपैडिहा-हरिद्वार	588	40	6	9	240
153	फैजाबाद-हरिद्वार	600	40	2	3	80
154	इलाहाबाद-कानुपर-हल्द्वानी	565	41	6	9	246

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
155	वाराणसी-कानपुर-बरेली-हल्द्वानी	690	41	2	3	82
156	वाराणसी-लखनऊ-बरेली-हरिद्वार	809	40	2	4	80
157	ग्वालियर-आगरा-ऋषिकेश	355	89	2	2	178
158	ग्वालियर-बरेली-हल्द्वानी	282	41	2	2	82
159	मथुरा-जयपुर-मथुरा-हरिद्वार	317	55	2	3	110
160	मथुरा-जयपुर-मथुरा-टनकपुर	341	37	2	3	74
161	सहारनपुर-हरिद्वार-चण्डीगढ़	50	114	4	2	456
162	सहारनपुर-देहरादून-चण्डीगढ़	81	22	8	8	176
163	सहारनपुर- ऋषिकेश-चण्डीगढ़	50	182	2	2	364
164	गौरीफन्टा-शाहजहांपुर-हरिद्वार-सहारनपुर-लुधियाना	545	97	4	8	388
165	सहारनपुर-देहरादून-पटियाला	81	22	4	2	88
166	सहारनपुर-ऋषिकेश-पटियाला	50	182	6	3	1092
167	रूपैड़िहा-हरिद्वार-सहारनपुर-चण्डीगढ़	584	97	4	6	388
168	मु0नगर-हरिद्वार-जम्मू-कटरा वाया अम्बाला-पठानकोट	50	112	2	4	224
169	पीलीभीत-नानकमत्ता-हरिद्वार-सहारनपुर-अमृतसर	157	292	2	4	584
170	सहारनपुर-हरिद्वार-चण्डीगढ़-बैजनाथ	50	57	2	2	114
171	सहारनपुर-देहरादून-चण्डीगढ़-धर्मशाला	81	22	2	3	44
172	सहारनपुर-हरिद्वार-शिमला	50	114	2	2	228
173	रूपैड़िहा-हरिद्वार-सहारनपुर-शिमला	584	97	8	16	776
174	मुज्जफरनगर-देहरादून-पानीपत-भिवानी	147	72	2	2	144
175	रूपैडिहा-हरिद्वार-सहारनपुर-लुधियाना	584	97	4	8	388
176	पटियाला-सहारनपुर-हरिद्वार-मुरादाबाद	180	97	2	2	194
177	पीलीभीत-टनकपुर-पटियाला	164	292	2	3	584
178	बरेली-हरिद्वार-चण्डीगढ़	272	97	4	4	388
179	पूरनपुर-पीलीभीत-खटीमा-रूद्रपुर-लुधियाना	159	292	2	3	584
180	पीलीभीत-रूद्रपुर-हरिद्वार-	328	292	2	3	584

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
	सहारनपुर-चण्डीगढ़-नगला-ऊना					
181	पलिया-हरिद्वार-अम्बाला-अमृतसर	511	97	2	4	194
182	नजीबाबाद-कोटद्वार-दिल्ली-फरीदाबाद	190	2	8	8	16
183	आगरा-फरीदाबाद-दिल्ली-ऋषिकेश	261	89	2	2	178
184	हरिद्वार-मेरठ-दिल्ली-बालाजी	171	55	2	2	110
185	मेरठ-ऋषिकेश-दिल्ली-अलवर	171	89	2	2	178
186	आगरा-फरीदाबाद-दिल्ली-देहरादून	306	61	2	2	122
187	रामपुर-नैनीताल-मुरादाबाद-दिल्ली-जयपुर	210	83	2	3	166
188	देहरादून-दिल्ली-जयपुर	136	61	2	2	122
189	छुटमलपुर-हरिद्वार-मेरठ-दिल्ली-जयपुर	151	79	12	12	948
190	नजीबाबाद-कोटद्वार-दिल्ली-जयपुर	195	2	2	2	4
191	रामनगर-जयपुर वाया दिल्ली	197	40	4	2	160
192	कोटा-हरिद्वार वाया जयपुर-दिल्ली	145	55	2	3	110
193	बरेली-रूद्रपुर-जयपुर	281	66	2	2	132
194	बरेली-टनकपुर-जयपुर	323	147	2	2	294
195	हरिद्वार-मेरठ-दिल्ली-जयपुर-पुष्कर	143	55	4	6	220
196	सहारनपुर-कलसिया-बेहटा-बादशाहीबाग-विकासनगर	60	21	30	6	630
197	सहारनपुर-रूड़की	30	26	10	5	260
198	सहारनपुर-गुरूकुलनारसन	30	24	10	5	240
199	सहारनपुर-भगवानपुर-रूड़की	21	26	40	50	1040
200	आगरा-नोएडा-दिल्ली-मेरठ-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	425	61	16	16	976
201	मथुरा-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (यमुना एक्सप्रेस वे)	374	61	8	8	488
202	हाथरस-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	384	61	4	4	244
203	जेवर-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	330	61	4	4	244
204	शिकोहाबाद-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	263	61	4	4	244

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	उत्तर प्रदेश में दूरी	उत्तराखण्ड में दूरी	निर्धारित ट्रिप्स	निर्धारित परमिट	उत्तराखण्ड में कुल कि0मी0
205	वाह-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	497	61	4	4	244
206	अलीगढ़-नोएडा-दिल्ली-देहरादून (वाया यमुना एक्सप्रेस वे)	343	61	4	4	244
207	बदांयू-बिल्सी-इस्लामनगर-बहजोई-सम्भल-हसनपुर-गजरौला- चांदपुर-बिजनौर-नजीबाबाद- हरिद्वार-देहरादून	289	103	2	2	206
208	बदांयू-बिल्सी-इस्लामनगर-बहजोई-सम्भल-हसनपुर-गजरौला- चांदपुर-बिजनौर-नजीबाबाद- हरिद्वार	285	40	2	2	80
209	बदांयू-बिल्सी-इस्लामनगर-बहजोई-सम्भल-हसनपुर-गजरौला- चांदपुर-बिजनौर-नजीबाबाद- कोटद्वार	289	2	16	16	32
210	बदायूं-सहसवान-गुन्नौर-बबराला-नरौरा-डिबाईमोड़-शिकारपुर-बुलन्दशहर-मेरठ-हरिद्वार	295	55	10	10	550
211	अलीगढ़-अनूपशहर-सम्भल-मुरादाबाद-धामपुर-नजीबाबाद-हरिद्वार	289	40	6	6	240
212	बढ़नी-तुलसीपुर-बलरामपुर-बहराइच-नानपारा-लखीमपुर-गोला-पीलीभीत-बरेली-मुरादाबाद- हरिद्वार-सहारनपुर-चण्डीगढ़	612	97	2	4	194
213	दिल्ली-मुरादाबाद-बनबसा-महेन्द्रनगर (नेपाल)	242	100	10	10	1000
214	लखनऊ-चण्डीगढ़ वाया हरिद्वार	554	97	2	3	194
215	बरेली-काठगोदाम-सहारनपुर-चण्डीगढ़	216	279	2	3	558
216	लखनऊ-बरेली-रामनगर	318	104	2	2	208
		50094	**16069**	**2476**	**1491**	**139071**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-सी

उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्य के निजी संचालकों के संचालन हेतु मार्गों का विवरण

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी कि0मी0 में		कुल दूरी	करार पाये गये सिंगल फेरों की संख्या		अनुज्ञा पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल संचालित कि0मी0	
		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश के प्रचालकों द्वारा उत्तरा-खण्ड में	उत्तरा-खण्ड राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	स्योहारा-ठाकुरद्वारा -जसपुर व सम्बद्ध मार्ग	111	16	127	100	22	100	22	1600	1442
2	दलपतपुर-काशीपुर वाया अलीगंज	42	08	50	45	09	45	09	360	378
3	नगीना-कालागढ़-काशीपुर व सम्बद्ध मार्ग	87	24	111	35	10	35	10	840	870
4	हल्द्वानी-कालाढुंगी-बाजपुर-काशीपुर-ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद	56	86	142	05	07	05	07	430	382
5	काशीपुर-तुमडियाडाम-कुण्डा-जसपुर-नादेही- भूतपुरी-काशीपुर- रामनगर	09	77	86	01	08	01	08	77	72
6	दिनेशपुर-मिलकखानम वाया रूद्रपुर-विलासपुर-दडियाल-गूलरभोज	43	49	92	12	12	12	12	588	516
7	रानीखेत-रामनगर-काशीपुर-ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद	56	132	188	02	06	02	06	264	336
8	हल्द्वानी-कालाढुंगी-बाजपुर-काशीपुर-टांडा- दड़ियाल-मुरादाबाद	51	55	106	03	03	03	03	165	153
9	नहटौर-नगीना-	45	12	57	20	10	20	10	240	450

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी कि0मी0 में		कुल दूरी	करार पाये गये सिंगल फेरों की संख्या		अनुज्ञा पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल संचालित कि0मी0	
		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश के प्रचालकों द्वारा उत्तरा-खण्ड में	उत्तरा-खण्ड राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश में
	बढ़ापुर-कोटद्वार									
10	हल्द्वानी-बाजपुर-काशीपुर-स्वार-रामपुर	42	55	97	06	09	06	09	330	378
11	सहारनपुर-विकासनगर	103	53	156	93	20	93	18	4929	1854
12	पीलीभीत-अमरिया-मुन्डलिया-सितारगंज	38	10	48	44	11	44	11	440	418
13	रामपुर-स्वार-बाजपुर-हल्द्वानी	43	55	98	42	53	42	53	2310	2279
14	रामपर-टांडा-दडियाल-काशीपुर	44	44	88	21	21	21	21	924	924
15	नगीना-काशीपुर वाया धामपुर-अफजलगढ	57	24	81	30	13	30	13	720	741
16	नैनीताल-कालाढुंगी-टांडा-दड़ियाल-मुरादाबाद	51	62	113	12	14	12	14	744	714
17	नैनीताल-कालाढुंगी-स्वार-बाजपुर-रामपुर	42	62	104	04	06	04	06	248	252
18	हल्द्वानी-बाजपुर-काशीपुर-सुल्तानपुर-बिजारखाता-रामपुर	35	92	127	08	22	08	22	736	770
19	पतरामपुर-जसपुर-सन्यासीवाला-ठाकुरद्वारा व पतरामपुर-जसपुर-दारापुर-मदारपुर	19	18	37	20	20	20	20	380	360
20	गनाई जैनल-काशीपुर-	56	162	218	04	12	04	12	648	672

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

क्रमांक	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी कि0मी0 में		कुल दूरी	करार पाये गये सिंगल फेरों की संख्या		अनुज्ञा पत्रों की निर्धारित संख्या		कुल संचालित कि0मी0	
		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड		उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश	उत्तरा-खण्ड	उत्तर प्रदेश के प्रचालकों द्वारा उत्तरा-खण्ड में	उत्तरा-खण्ड राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश में
	ठाकुरद्वारा-मुरादाबाद									
21	सहारनपुर-बडकोट	54	115	169	26	57	26	57	2990	3078
22	सहारनपुर-चकराता	54	70	124	13	17	13	17	910	918
23	सहारनपुर-चकराता -त्यूनी	54	149	203	08	24	08	24	1192	1296
24	मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर- व सम्बद्ध मार्ग	56	49	105	104	91	104	91	5096	5096
25	बिहारीगढ-बुग्गावाला-कलियर-बहेडी	0.5	39	39.5	06	16	06	16	234	08
26	बाजपुर-बरहनी-हरिपुरहरसान-महोली-जंगल-बेरियादौलत-गूलरभोज बाजपुर-दोराहा- स्वार	15	36	51	07	13	07	13	252	195
27	देहरादून-विकासनगर व सहबद्ध मार्ग	44	162	206	02	81	06	89	972	3616
	योग				**673**	**587**	**677**	**593**	**28619**	**28168**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।